

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

श्री बट्टी पुत्र श्री रामा बैरवा निवासी थोरिया खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर
- प्रार्थी		-विपक्षी

प्रकरण संख्या 124/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2017	<p>प्रकरण पंजीबद्ध करे विपक्षी के सम्मन जारी करे रेकार्ड तलब कर सुनवायी हेतु दिनांक 30/10/2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अति० जिला कलक्टर भीलवाड़ा</p> <p><i>30-10-17</i> पत्रावली पीठासीन अधिकारी के द्वारा जारी है। अतः पत्रावली आदेश कार्यवाही के लिए दिनांक 30-10-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">आदेश से</p> <p><i>31-10-17</i> पत्रावली पेश हुई। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः इस प्रकार से कार्यवाही शेष करे।</p> <p style="text-align: center;"><i>31/10/17</i> अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)</p>	